BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 13 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट व छेड़छाड़ के 03 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास व एक आरोपी को 16 हजार तथा अन्य 02 आरोपियों को 08-08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. प्रवीण पुत्र छतर सिंह, 2. राजकुमार पुत्र जयपाल, 3. रुदन पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम भौरा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में थाना ककोड़ क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड़ व उसकी मां के साथ मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2016 को थाना ककोड़ पर मुअसं- 06/2016 धारा- 452/354/323/506 भादवि व 08 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.08.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 13.09.2024 को न्यायाधीश श्री तरूण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रवीण को 04 वर्ष का कारावास व 18 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अभि0 राजकुमार व रुदन को 04-04 वर्ष का कारावास एवं 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर